न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र कुमार डांगा आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 15/2022

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. कबुंदेवी पुत्री बेनाराम पत्नि श्री गोपाराम जाति–मेघवाल निवासी ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर		1. गटुड़ी पत्नि स्व.श्री बेनाराम 2. धूड़ाराम पुत्र स्व.श्री बेनाराम 3. छेलाराम पुत्र स्व.श्री बेनाराम 4. भंवरीदेवी पुत्री बेनाराम (प्रफोर्मा पक्षकार) 5. भूराराम पुत्र श्री मोडाराम सभी जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर 6. सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर 7. राजूराम पुत्र स्व.श्री बेनाराम

प्रार्थना पत्र राजस्व अपील संख्या 02/2016 अनवान कबुदेवी बनाम गटुड़ी वगैरह निर्णय दिनांक 21.10.2019 में संशोधन करने हेतु।

उपस्थितिः–
1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री स्वर्णसिंह उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्टस संख्या 3 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज चौधरी उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 20.12.2022

अपीलान्ट कबुदेवी पुत्री बेनाराम पत्नि श्री गोपाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट गटुड़ी पत्नि स्व. श्री बेनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर वगैरह के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 02/2016 अनवान कबुदेवी बनाम गटुड़ी वगैरह निर्णय दिनांक 21.10.2019 में संशोधन करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar Danga
Date: 2023.08.04 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपील मीमो में गलती से टंकण त्रुटि से अपीलान्ट का हिस्सा 1/5 दर्ज कर दिया है जबकि अपीलान्ट का 1/7 हिस्सा बनता है इसलिए न्यायहित में अपील के निर्णय में पृष्ठ संख्या 2 लाईन संख्या 3 में 1/5 कि जगह 1/7 कि जावे पृष्ठ संख्या 3 के अन्तिम पेरा में 1/5 की जगह 1/7 किया जावे। पृष्ठ संख्या 4 के पेरा संख्या 2 के अन्तिम दूसरी लाईन में 1/5 कि जगह 1/7 किया जावे। पृष्ठ संख्या 4 पेरा 3 कि

लाईन संख्या 5 में 1/5 की जगह 1/7 किया जावे व निर्णय के ऑपरेटिव पार्ट में लाईन संख्या 2, लाईन संख्या 5 में दो जगह व लाइन संख्या 9 में जहां जहां 1/5 किया है वहां 1/7 दर्ज/संशोधन किया जावे। अपीलान्ट द्वारा उक्त गलती सदभाविक भूल को किसी भी स्तर पर शुद्ध किया जा सकता है जिससे पक्षकार को उचित न्याय मिल सके। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 21.10.2019 में जहां जहां 1/5 अंकन किया है वहां लाल रंग की स्याही से 1/7 दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण दर्ज किया जाकर रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 फौत हो चुकी है जिसके वारिसान पहले से रेस्पोडेन्टस के रूप में प्रकरण में विद्यमान है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अविवाहित फौत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 7 के नोटिस तामिल होकर उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हो चुके है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के नोटिस दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने के लगभग 2 माह व्यतीत होने के पश्चात् भी वे उपस्थित नहीं हुए है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री स्वर्णसिंह ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अपील संख्या 02/2016 अनवान कबुदेवी बनाम गटुड़ी वगैरह निर्णय दिनांक 21.10.2019 में जहां जहां 1/5 अंकन किया है वहां लाल रंग की स्याही से 1/7 दर्ज संशोधन किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्टस संख्या 3 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज चौधरी ने अपनी बहस में अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस के कथनों में अपनी सहमति जाहिर करते हुए निर्णय इस न्यायालय की राजस्व अपील संख्या 02/2016 अनवान कबुदेवी बनाम गटुड़ी वगैरह निर्णय दिनांक 21.10.2019 में जहां जहां 1/5 अंकन किया है वहां लाल रंग की स्याही से 1/7 दर्ज संशोधन किये जाने का निवेदन किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस, मनन व अध्ययन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय की राजस्व अपील संख्या 02/2016 अनवान कबुदेवी बनाम गटुड़ी वगैरह निर्णय दिनांक 21.10.2019 में अपील मीमो के पेज संख्या 2 के पैरा संख्या दो में बेनाराम का सजरा खानदान बताया गया है जिसमें बताया गया कि स्व. श्री बेनाराम के चार पुत्र, दो पुत्रियां व पत्नी है। जिसमें से ओमाराम लाऔलाद देहान्त हो गया है। इस तरह अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 व 7 स्व.बेनाराम के वारिसान है व अपीलान्ट जाईदा पुत्री होने के कारण अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से में 1/5 हिस्से पर हक व अधिकार टंकण की [illegible] है। चूंकि अपीलान्ट अपना हिस्सा कम ही कर रहीं है न कि हिस्सा बढ़ा रही [illegible]ति में उक्त प्रकरण के अपील मीमों में अपीलान्ट व रेस्पोडे[illegible] का सम्पूर्ण भू[illegible] 1/2 हिस्से में टंकण त्रुटिवश 1/5–1/5 हिस्सा दर्शाया गया है जिसको [illegible] 1/7–1/7 हिस्सा भूमि संशोधित की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar Danga
Date: 2023.08.04 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर (द्वितीय) ... (राज०)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 15/2022 अनवान कबुदेवी बनाम गटुड़ी वगैरह

उक्त अपील में खसरा नम्बर 306 रकबा 46 बीघा 18 बिस्वा भूमि के हिस्से में अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस का सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्से में से 1/5–1/5 हिस्सा भूमि टंकण त्रुटिवश दर्शाया गया है जबकि उक्त भूमि में अपीलान्ट का 1/7 हिस्सा है तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस का सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्से में से स्व.बेनाराम के वारिसान का 1/7–1/7 हिस्सा भूमि बनती है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्टस के हिस्से की भूमि में से 1/7–1/7 हिस्सा कम करते हुए अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के नाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार जोधपुर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार डांगा)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kumar Danga
Date: 2023.08.04 16:46:13 IST
Reason: SelfAttested